राजधानी में कोरोना कर्फ्यू के कुछ छायाचित्र

खास-खबर

मास्क न पहनने वालों पर नगर निगम की सख्त कार्यवाही

भोपाल (काप्र)। नगर निगम भोपाल द्वारा कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन न करते हुए मास्क ना लगाने तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू की गई है। निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अपने-अपने जोन क्षेत्र अंतर्गत कार्यवाही करते हुए मास्क ना पहनने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए 117 व्यक्तियों पर जुर्माने की कार्यवाही करते हुए 13 हजार रूपये की राशि स्पॉट फाईन के रूप में वसूल की। निगम अमले ने नागरिकों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाइश दी और सोशल डिस्टेसिंग का हर हाल में पालन करने की भी समझाइश दी। मध्यप्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा मास्क न पहनने के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के आदेश के परिपालन में निगम आयुक्त के.वी.एस. चौधरी के आदेश पर निगम के सभी जोनों के अंतर्गत मास्क ना लगाने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन ना करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए निगम अमले ने बुधवार को 117 व्यक्तियों पर 13 हजार रूपये का फाईन किया गया और मास्क पहनने की समझाईश भी दी गई।

भोपाल में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए 25 निजी अस्पतालों को दी गई अनुमति

भोपाल। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल द्वारा भोपाल में कोरोना मरीजों के लिये उपचार हेतु बिस्तरों में वृद्धि करने के लिये निम्नांकित 25 निजी अस्पतालों को अनुमति प्रदान की गई है, सूची निम्नानुसार है - सांक्षी अस्पताल, लोटस अस्पताल, महावीर अस्पताल, आधार अस्पताल, नागपुर न्यूरो एण्ड ट्रामा अस्पताल, प्रभातश्री मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, रामसरोज मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, राजाभोज अस्पताल, सिटी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, दिव्यांका चिल्ड्रन अस्पताल, विजन अस्पताल, जानकी अस्पताल, दुलार चिल्ड्रन अस्पताल, होप एस.एस. अस्पताल, मिरैकल्स हॉस्पिटल, प्रोमिस चिल्ड्रन एण्ड जनरल अस्पताल, राजदीप अस्पताल, नर्मदा ट्रामा सेंटर, केयर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, लाहाती अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर, बी - केयर चिल्ड्रन अस्पताल, पारुल अस्पताल, अरेरा ट्रामा एण्ड क्रिटीकल केयर अस्पताल, मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर, सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भोपाल को कोविड - 19 संक्रमित रोगियों के प्रबंधन की अनुमति दी गई है।

सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें बार-बार हाथों को सैनिटाइज करें

भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल के नागरिकों से अपील की है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए घरों से कम से कम बाहर निकलें, अति आवश्यक होने पर ही घरों से निकलें। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बिना कारण घरों से बाहर नहीं ले जाएं। कलेक्टर ने कहा कि सभी लोग घर से निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगायें, बार-बार हाथों को धोते रहें और आवश्यक होने पर ही घरों से निकलें और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। लोगों से मिलते समय कम से कम 2 गज की दूरी अनिवार्य रूप से बनाएं रखे। बिना मास्क वालों से बात ना करें और आप किसी से बात कर रहे हैं तो स्वयं भी मास्क लगाएं और सामने वाले को भी अनिवार्य मास्क लगवाएं। कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाय सावधानी है। सावधानी को अपनाकर कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम कर सकते हैं। भोपाल में संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है कि सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें । हम सब मिलकर एक प्रयास करेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तो कोरोना को हम खत्म कर सकते हैं।

वनों को अग्नि दुर्घटना से बचाने की सलाह

भोपाल । भोपाल ने वनों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी हैं। उन्होंने कहा कि वातावरण का तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ वनों में आग दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। महुआ तथा अन्य वनों उपज संग्रहण के लिए भी पेड़ों के नीचे गिरे पत्तों को नष्ट करने के लिए लापरवाही से आग का उपयोग किया जाता है। इससे कई बार बड़े वन क्षेत्र में आग का प्रकोप हो जाता है। आग लगने से हरे-भरे वृक्ष झाड़ियां तथा घास नष्ट हो जाती हैं। जंगली जानवरों को भी इससे हानि पहुंचती है। आग से अनमोल वनसंपदा नष्ट हो जाती है। आग लगने से मिट्टी की ऊपरी सतह कठोर हो जाती है तथा कई पोषक सूक्ष्म, जीव नष्ट हो जाते हैं। आग को वनों में फैलने से रोकने के लिए सावधानी रखना आवश्यक है। वनों उपज संग्रहण के लिए वनों में आग न जलायें, वनों में आग की सूचना मिलने पर तत्काल क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दें। सबके सहयोग से ही वनों को आग से बचाया जा सकता है।

संक्रमण को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था सुनिश्चित करें

भोपाल (काप्र)।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर लगातार नजर रखे और अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे कोरोना मरीजों को समय पर बेहतर उपचार मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने जिलेवार कोरोना नियंत्रण एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना जाँच की रिपोर्ट संबंधित को शीघ्रता से दी जाए। हॉस्पिटल में संक्रमित मरीजों को भर्ती के लिए उपलब्ध बिस्तर की हॉस्पिटल वार रोजाना समीक्षा करें। हॉस्पिटल में सभी आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध रहे, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाया जाए और कोरोना संक्रमण को रोकने के आवश्यक उपाय करें। संक्रमण नहीं फैले इसके लिए लोगों को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए अभियान चलाए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्री प्रतीक हजेला, स्वास्थ्य आयुक्त श्री आकाश त्रिपाठी, संचालक एनएचएम श्रीमती छवि भारद्वाज, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन पी. नरहरि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में 3 हजार 890 यूनिट रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति

प्रदेश में बुधवार को कुल 3,890 यूनिट रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति की गई है। वहीं विभिन्न अस्पतालों में 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता है। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री पी.नरहरि ने बताया कि प्राप्त रेमडेसिविर इंजेक्शन में से एक हजार एमजीएम शासकीय मेडिकल कॉलेज इंदौर को तथा शेष 2890 निजी चिकित्सालयों को दिए जा रहे हैं। इंजेक्शन के निर्माताओं को मध्यप्रदेश में इनकी सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इंजेक्शन के अवैध विक्रय, एम.आर.पी से अधिक मूल्य पर विक्रय तथा कालाबाजारी न हो इसके लिए औषधि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। श्री नरहरि ने बताया कि ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इसके निर्माताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स से निरंतर संपर्क किया जा रहा है। ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग को सीमित करके सबसे पहले अस्पतालों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन का अपव्यय रोकने के लिए भारत शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों से सर्व संबंधितों को अवगत कराया गया है। ऑक्सीजन के परिवहन को त्वरित बनाने के लिए अनुमति प्राप्त ऑक्सीजन वाहनों को एम्बूलेंस का दर्जा भी दिया गया है।

कोविड केयर सेंटर संचालन के लिए वित्तीय सीमा निर्धारित

भोपाल (काप्र)। मिशन संचालक, एनएचएम श्रीमती छवि भारद्वाज ने बताया कि कोविड केयर सेंटर के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है। इस संबंध में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित कर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। निर्धारित की गई वित्तीय सीमा एवं अन्य व्यवस्थाएँ

क्र.	मद	प्रस्तावित संशोधन
1.	बिस्तरों की व्यवस्था	500 रूपए प्रतिदिन
2.	भोजन (चाय या दूध, नाश्ता, दोपहर एवं रात का भोजन एवं शाम की चाय)	300 रूपए प्रतिदिन
3.	परिसर की सफाई, विसंक्रमण एवं रखरखाव	200 रूपए प्रतिदिन
4.	भवन जिन्हें चिन्हांकित किया जा सकता है	छात्रावास एवं अन्य शासकीय भवन
5.	मानव संसाधन	1 स्टाफ नर्स, 1 सिक्योरिटी गार्ड एवं 1 सफाई कर्मी (24 घंटों के लिये)
6.	डॉक्टर विजिट	दिन में 2 बार
7.	एम्ब्युलेंस	1 बीएलएस (ऑक्सीजन सपोर्ट सहित) 24 घंटों के लिये

सड़क पर उतरे एसपी 50 लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर वाहन जप्त कराये

भोपाल(काप्र)। राजधानी में कोविड-19 के मरीजों का आंकडा लगातार बढ़ने पर 60 घंटे के लॉकडाउन के बाद सोमवार रात 9 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू है। इसके बाद भी लोग नियमो को पालन करने को तैयार नहीं है। बुधवार सुबह पुलिस के बार-बार रोकने के बाद भी लोग बेवजह बाहर निकलते रहे तो एसपी साउथ साई कृष्णा एस थोटा खुद सड़क पर उतर आए और पुलिसकर्मियों के साथ वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एसपी ने ऐसे करीब 50 वाहन चालकों पर केस दर्ज कर उनके वाहन जब्त करने के निर्देश दिए, जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे। एसपी के सख्त अंदाज मे आने के बाद लोगों का आवागमन सड़क पर कम हुआ। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोटा बुधवार दोपहर साढ़े बाहर बजे कोलार इलाके में अचानक ही निरीक्षण करने पहुंच गए। उनको सूचना मिल रही थी, कि चार और दोपहिया वाहन चालक सड़को पर लगातार निकल रहे हैं। ओर उनको रोकने की कोशिश करने वाले पुलिसकर्मियो से वाहन चालक विवाद कर रहे हैं। इसकी जानकारी लगने के बाद एसपी एक घंटे तक सड़क पर रहे और वाहनों को रोका। इस दौरान चार पहिया वाहनों मे बेवजह निकले लोगों को उन्होंने फटकार लगाई और वाहनों को जब्त करने के निर्देश दे दिए। इस दौरान ललिता नगर से सर्वधर्म तक पुलिस चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस ने एक घंटे में पचास के करीब वाहनों को रोका और उन पर केस दर्ज किया। इनमें से अधिकांश के वाहन भी जब्त किए गए हैं।

कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण के लिए दल गठित

भोपाल (काप्र)।

जिलों के शासकीय भवनों में संचालित कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं के सतत निरीक्षण के लिये दल गठित किये गये हैं। गठित दल में प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय और प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को दायित्व सौंपे हैं। इनका प्रशिक्षण 15 अप्रैल को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा।

राज्य शासन द्वारा प्रत्येक जिले के लिये गठित दल को जिले में संचालित समस्त कोविड केयर सेंटर्स का सप्ताह में दो बार अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिये है। दल द्वारा यह निरीक्षण सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को किया जाएगा। प्रत्येक सोमवार को मोबाइल एप के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदन और अंकों के आधार पर मार्किंग भी की जाएगी।

दल द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण में कोविड केयर सेंटर की सभी अधोसंरचना, मेडिकल, भोजन, साफ-सफाई और वहाँ के रहवासियों तथा परिजनों का फीडबैक भी प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा।

राज्य शासन द्वारा कोविड केयर सेंटर की स्थापना एवं व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई और सचिव तकनीकी शिक्षा श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को जवाबदारी सौंपी गई है।

कोरोना से लडने सरकार ने बनाई राज्य स्तरीय विशेषज्ञों की सलाहकार समिति

मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी तेजी से फैलती जा रही है। सरकार अब इससे निपटने के लिए विशेषज्ञों की सलाहकार समिति बनाई है। इसमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी भी शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के हालातों से निपटने के लिए सलाहकार समिति गठित की गई है। जो जनहित के फैसले और नीतिगत मामलों में सरकार को समय-समय पर सलाह देगी। समिति में कैलाश सत्यार्थी के अलावा माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश, सीआईआई के एमपी के अध्यक्ष सौरभ सांगला, मप्र नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. जितेंद्र जामदार, एम्स भोपाल के डायरेक्टर डा. सरमन सिंह को शामिल किया गया है। समिति में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मुकुल तिवारी के अलावा शरद द्विवेदी, रामेंद्र सिंह, डॉ. निशांत खरे, डॉ. राजेश सेठी, डॉ. अभिजीत देशमुख और डॉ. एसपी दुबे को सदस्य बनाया गया है। समिति के संयोजक अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान को बनाया गया है।

संपूर्ण शहर में सेनेटाइजेशन निरंतर जारी

भोपाल (काप्र)। नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए नगर निगम भोपाल द्वारा संपूर्ण शहर के रहवासी क्षेत्रों, बाजारों, कार्यालयों, संस्थानों आदि में हस्तचलित स्प्रे मशीनों एवं टेक्टर माउंट स्प्रीलिंकर्स मशीनों के माध्यम से सेनेटाइजेशन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

नगर निगम प्रशासक एवं संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत के निर्देश एवं निगम आयुक्त के.वी.एस.चौधरी के आदेश पर नगर निगम भोपाल द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए शहर के प्रमुख रहवासी क्षेत्रों/कालोनियों, बाजारों, कार्यालयों एवं संस्थानों में सेनेटाइजेशन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। नगर निगम भोपाल द्वारा हस्तचलित स्प्रे मशीनों एवं टेक्टरमाउंट स्प्रीलिंकर्स मशीनों के माध्यम से बुधवार को होशंगाबाद रोड,

स्टरलिंग ग्रीनव्यू फेस-1, स्टरलिंग ग्लो कालोनी, फार्चून्यू डिबाइन सिटी, आकृति ग्रीन कालोनी, प्रियदर्शनी निरामय, सलैया, भवानी धाम फेस-2, एन सेक्टर, के सेक्टर अयोध्या नगर, पुलिस चौकी, सिंधी कालोनी, शांति नगर, नादरा बस स्टैण्ड, भोपाल टॉकीज, हमीदिया रोड, डी.आई.जी. बंगला चौराहा, गणेश मंदिर छोला नाका, 3डी साकेत नगर, हमीदिया हास्पिटल, गुप्ता कालोनी आनंद नगर, लक्ष्मी विहार कालोनी, डी मार्ट, चिरायु कम्पाउंड, दामखेड़ा, सागर कुंज, 610 क्वार्टर्स, सम्राट परिसर, 45 बंगला, न्यू मार्केट, रोशनपुरा, ई-8 ईश्वर नगर फेस-1, फेस-2, पीएचई क्वार्टर्स कोलार कालोनी, वन विहार रोड इत्यादि क्षेत्रों सहित मुख्य मार्गों व बाजार क्षेत्रों में एंटी वायरस रसायनों का छिड़काव किया गया।

सवा महीने पहले मार डालने की धमकी देकर महिला से किया रेप

भोपाल(काप्र)। राजधानी के कोलार थाना इलाके मे स्थित कजलीखेड़ा इलाके में रहने वाली महिला के साथ आरोपी युवक द्वारा करने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि आरोपी ने सवा महीने पहले महिला के घर गया था, वहाँ उस समय पीडीता को अकेला पाकर आरोपी ने धमकाते हुए महिला को अपनी हवस का शिकार बना डाला। इसके बाद तीन दिन पहले आरोपी फिर से विवाहिता के घर जा धमका , ओर उसपर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। महिला ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने उसके साथ मारपीट कर दी और पीड़िता के बच्चों को जान से मारने की धमकी दे डाली। बाद मे थाने पहुंची पीडीता कि शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म व मारपीट की धाराओ मे मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 30 महिला ने शिकायत करते हुए बताया कि वो इलाके मे स्थित ग्राम कजली खेड़ा में रहती है, और गृहिणी है। करीब दो महीने पहले एक शादी समारोह में महिला की पहचान नीरज जाटव नाम के युवक से हुई थी। बातचीत के दौरान नीरज ने महिला को अपनी बातो मे फसांते हुए उसका मोबाइल नंबर ले लिया और आये दिन महिला से फोन पर बातचीत करने लगा। महिला उसकी नियत को समझ नहीं सकी और बातचीत करती रही। आरोप है कि बीती 5 फरवरी को आरोपी नीरज जाटव महिला के घर जा पहुंचा। इस दौरान महिला घर में अकेली थी। मकान मे उसके अकेले होने का फायदा उठाते हुए नीरज ने महिला को अपनी हवस का शिकार बना डाला। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने घटना के बारे मे किसी को बताने पर उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दे डाली। महिला ने उसकी धमकी से डरकर जब इसके बारे मे किसी से कोई शिकायत नहीं की तो आरोपी की हिम्मत बढ गई ओर इसके बाद बाद भी उसने कई बार पीडीता के साथ रेप किया। आरोप है कि तीन दिन पहले युवक फिर से महिला के घर जा धमका, ओर उसपर शारिरीक संबध बनाने का दबाव डालने लगा। इस बार महिला ने ऐसा करने से इंकार कर दिया।

खास-खबर

निगम आयुक्त के.वी.एस.चौधरी ने नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

लक्ष्य से कम वैक्सीनेशन कराने वाले 9 जोनल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

भोपाल (काप्र)।

कोरोना संक्रमण से नागरिकों की सुरक्षा हेतु कोविड वैक्सीनेशन का कार्य व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है और नगर निगम द्वारा भी सामान्य टीकाकरण केन्द्रों के अतिरिक्त समस्त 19 जोन के 85 वार्डों में चयनित स्थलों पर टीकाकरण की व्यवस्था की जाकर जोनल अधिकारियों को प्रति वार्ड कम से कम 200 व्यक्तियों को प्रतिदिन टीकाकरण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

निर्धारित लक्ष्य से कम टीकाकरण कराने वाले 09 जोनल अधिकारियों को निगम आयुक्त के.वी.एस.चौधरी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है अन्यथा कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। निगम आयुक्त के.वी.एस.चौधरी द्वारा जोनल अधिकारी जोन क्र. 01, 02, 03, 04, 08, 09, 11, 12 एवं 17 को जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसार जोनल अधिकारियों को प्रतिदिन प्रति वार्ड 200 व्यक्तियों का टीकाकरण कराने का लक्ष्य दिया गया था जिसके विपरीत दिनांक 11, 12, 13 अप्रैल 2021 को आपके जोन में दिए गए लक्ष्य से कम टीकाकरण किया गया है जो आपके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है। अतः इस संबंध में आप कारण सहित अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस के भीतर उपायुक्त राजस्व के माध्यम से प्रस्तुत करें। उत्तर समय सीमा में प्राप्त न होने की दशा में कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

निगम द्वारा समस्त 85 वार्डों के चयनित स्थानों पर 3135 व्यक्तियों ने लगवाए टीके

कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा हेतु नागरिकों को कोविड वैक्सीनेशन का कार्य तीव्र गति से जारी है। अधिक से अधिक नागरिकों को कोविड वैक्सीन लगाने के दृष्टिगत् माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान एवं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप भोपाल शहर के 19 जोनों के अंतर्गत 85 वार्डों में पृथक-पृथक स्थानों पर विशेष टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। कोविड टीकाकरण हेतु पूर्व से सामान्य रूप से संचालित फीवर क्लीनिक, संजीवनी क्लीनिक, शासकीय अस्पताल/ स्वास्थ्य केन्द्र/ निजी अस्पताल व अन्य टीकाकरण केन्द्रों के अतिरिक्त नगर निगम, भोपाल द्वारा 85 वार्डों के चयनित स्थानों पर व्यापक स्तर पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। बुधवार, 14 अपैल 2021 को नगर निगम, भोपाल के 19 जोनों के अंतर्गत 85 वार्डों में चयनित स्थलों पर टीकाकरण केन्द्रों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 3135 व्यक्तियों ने कोविड वैक्सीन का टीकाकरण कराया। निगम आयुक्त चौधरी ने अतिरिक्त रूप से स्थापित टीकाकरण केन्द्रों में टीकाकरण हेतु पर्याप्त रूप से व्यवस्था कर 45 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित करने और उन्हें टीकाकरण केन्द्र में सुगमता से लाकर टीकाकरण कराने के निर्देश दिए है। श्री चौधरी ने किसी भी नागरिक को टीकाकरण के लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान कर अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराने के भी निर्देश दिए।